कार्यालय, चौपासनी शिक्षा समिति, चौपासनी, जोधपुर

Email-chopasni.100yrs@gmail.comWebsite:www.chopasnishikshasamiti.com
Mobile No- 8619676200

क्रमांकः–चौशिस / जोधपुर / सोलरनिविदा / 2024 /   दिनांकः–   /   / 2024

सोलर ऊर्जा सयंत्र निविदा के दिशा–निर्देश

निर्देशानुसार चौपासनी शिक्षा समिति के अधीनस्थ शिक्षण संस्थाओं हेतु सोलर ऊर्जा सयंत्र निविदा को दैनिक भास्कर समाचार पत्र में एवं चौपासनी शिक्षा समिति की ऑफिशियल वेबसाईट **www.chopasnishikshasamiti.com** पर दिनांक 09.10.2024 को जारी की गई है, निम्नलिखित शर्तों के साथ इच्छुक फर्म सोलर ऊर्जा सयंत्र निविदा का आवेदन जमा कराये :–

1 सोलर ऊर्जा सयंत्र निविदा हेतु इच्छुक फर्म चौपासनी शिक्षा समिति कार्यालय, चौपासनी परिसर, जोधपुर से 500/– रूपये के शुल्क के साथ आवेदन पत्र प्राप्त कर, चाही गई सूचना अंकित करते हुए कार्यालय में दिनांक 10/10/2024 से 20/10/2024 तक सुबह–10 बजे से सायं 5 बजे तक जमा करावें एवं रसीद प्राप्त करें।

2 निविदा में भाग लेने के लिए अलग से लिफाफे बंद में चैक या नगद राशि अक्षरे 10,000/– रूपये जमा करवाना होगा। निविदा खुलने के पश्चात् आवंटित निविदादाता के अलावा शेष फर्मो को उसी दिन डीडी लौटा दी जायेगी। डीडी राशि पुनः स्वयं फर्म/प्रोपराइटर/प्रतिनिधि को चौपासनी शिक्षा समिति कार्यालय में उपस्थित होकर लेनी होगी।

3 निविदाकार फर्म जीएसटी से पंजीकृत होनी चाहिए। जीएसटी सर्टिफिकेट की प्रति कार्यालय में जमा कराये। सोलर ऊर्जा सयंत्र का कोटेशन बनाकर समिति कार्यालय में बंद लिफाफे में जमा कराये।

4 अंतिम तारीख तक आवेदन पत्र प्राप्त होने के पश्चात् संबंधित उपसमिति/समिति के समक्ष प्राप्त निविदाएं खोली जाएगी। निविदा खोलने की तारीख चौपासनी शिक्षा समिति तय करेगी। प्राप्त निविदाएं निविदाकारों के समक्ष खोली जायेगी। यदि नियत दिन/समय को फर्म के प्रोपराइटर/प्रतिनिधि उपस्थित नहीं होते हैं तो उस फर्म का प्राप्त आवेदन पत्र नहीं खोला जायेगा, उसे निरस्त माना जायेगा।

5 चौपासनी शिक्षा समिति एक शैक्षणिक संस्थान है। 120 केवी क्षमता की सोलर ऊर्जा सयंत्र चौपासनी शिक्षा समिति के परिसर में लगाया जाना प्रस्तावित है। संबंधित फर्म शैक्षणिक संस्थान के हित को ध्यान में रखते हुए कोटेशन/पैकेज प्रस्तावित करें।

6 कार्य प्रारंभ करने के पूर्व सोलर ऊर्जा सयंत्र की रूपरेखा समिति कार्यालय से प्रमाणित करवाना होगा एवं इन्सटॉलेसन फर्म की होगी।

7 आवेदक द्वारा फर्म पूर्व में किये गये सोलर ऊर्जा सयंत्र कार्यो की रंगीन चित्रों सहित कार्यालय आवेदनपत्र के साथ जमा कराये।

8 5 साल तक सोलर ऊर्जा सयंत्र की मैन्टीनेस/रखरखाव फर्म की रहेगी।

9 इच्छुक फर्म को सादे कागज पर शपथ पत्र (डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट) देना होगा।

10 निविदाकार फर्म को आवंटित निविदा की कुल व्यय राशि का 15 प्रतिशत राशि सिक्योरिटी मनी (अमानत राशि) के रूप में जमा करवानी होगी।

11 सोलर ऊर्जा सयंत्र कार्य को अधिकतम 3 माह (90 दिवस) में पूरा करना होगा।

12 इस निविदा से संबंधित समस्त प्रकार के टैक्स, मजदूर व्यय, वाहन शुल्क, सामग्री, फर्म के रहेंगे। चौपासनी शिक्षा समिति मात्र निविदा आवंटित राशि का भुगतान करेगी। अन्य सभी प्रकार के खर्चें आदि निविदाकार फर्म की रहेगी।

13 निविदाकार फर्म को कुल राशि में से 50 प्रतिशत राशि का भुगतान संपूर्ण सोलर ऊर्जा सयंत्र स्थापित करने पर किया जायेगा। शेष 50 प्रतिशत राशि का भुगतान नव निर्माण एवं कार्य उपसमिति से कार्य पूर्ण प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात् किया जायेगा। ''कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र'' प्राप्त होने के पश्चात सिक्योरिटी राशि बिना ब्याज के लौटाई जायेगी। यदि निर्धारित समय में कार्य पूर्ण नहीं करने पर नियमानुसार प्रथम 30 दिन तक देरी से कार्य करने पर 10 प्रतिशत जुर्माना के तौर पर वसूल की जायेगी। उसके पश्चात् निर्धारित अवधि से 60 दिनों तक कार्य पूर्ण नहीं करने पर 15 प्रतिशत जुर्माना वसूल किया जायेगा।

14 सोलर ऊर्जा सयंत्र स्थापित होने के पश्चात् मिलने वाली संपूर्ण सब्सिडी राशि पर चौपासनी शिक्षा समिति का एकाधिकार होगा। सब्सिडी दिलवाने में निविदाकार फर्म सहायता प्रदान करेगी।

15 प्राप्त आवेदन पत्रों में से निविदा शर्तों के अनुसार न्यूनतम दर वाली फर्म को निविदा आवंटित की जायेगी। आवंटित फर्म को पांच दिवस के भीतर सिक्योरिटी राशि जमा करवानी होगी। यदि फर्म नियत अवधि में सिक्योरिटी राशि जमा नहीं करवाती है तो प्राप्त डीडी राशि जब्त की जा सकती है और द्वितीय कम दर वाली फर्म को यह निविदा आवंटित की जा सकती है या पुनर्प्रक्रिया अपनाई जा सकती है, समिति जो उचित समझे।

16 निविदादाता फर्म सोलर ऊर्जा सयंत्र स्थापित संबंधित कार्य किसी अन्य व्यक्ति/कंपनी/संस्था/फर्म को सबलेट/उपपट्टे पर नहीं देगी।

17 निविदाकार फर्म व चौपासनी शिक्षा समिति के मध्य 500 रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर अनुबंध किया जायेगा, जिसमें सारी शर्तों का उल्लेख किया जायेगा।

18 निविदा आवंटित करने में किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर अंतिम निर्णय चौपासनी शिक्षा समिति का होगा।

19 आवेदक फर्म किसी निजी संस्थान/अर्द्धसरकारी/सरकारी से प्रतिबंधित/ब्लैकलिस्टेट नहीं होनी चाहिए। यदि ऐसा है तो फर्म आवेदन नहीं करे। ऐसी जानकारी गोपनीय रखने पर फर्म के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जा सकती है।

20 सर्वाधिकार चौपासनी शिक्षा समिति के अधीन रहेंगे। किसी भी प्रकार के वाद का न्याय क्षेत्र जोधपुर रहेगा।

मानद सचिव,
चौपासनी शिक्षा समिति,
जोधपुर